

IR 125/12

भारतीय नोट

एक सौ रुपये

रु. 100



RS. 100  
ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JU



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 574271

द्वारा जारी

- 1. यह नोट एक सौ रुपये की राशि का है।
- 2. यह नोट भारतीय नोटों के समूह में शामिल है।
- 3. यह नोट भारतीय नोटों के समूह में शामिल है।
- 4. यह नोट भारतीय नोटों के समूह में शामिल है।
- 5. यह नोट भारतीय नोटों के समूह में शामिल है।
- 6. यह नोट भारतीय नोटों के समूह में शामिल है।
- 7. यह नोट भारतीय नोटों के समूह में शामिल है।
- 8. यह नोट भारतीय नोटों के समूह में शामिल है।
- 9. यह नोट भारतीय नोटों के समूह में शामिल है।
- 10. यह नोट भारतीय नोटों के समूह में शामिल है।

द्वारा जारी किया गया है।

Handwritten signature and stamp



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

RS. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 576272

- क. शबोहन वर्मा पुत्र श्री राजवदन वर्मा निवासी ग्राम बंधुआपुर जिलाकाठ, तहसील- सोहावात, जिला- फैजाबाद।
- ख. श्रीमती सुमिता वर्मा पत्नी श्री शबोहन वर्मा निवासी ग्राम बंधुआपुर जिलाकाठ, तहसील- सोहावात, जिला- फैजाबाद।
- ग. श्रीमती जलपत्ता पत्नी श्री राजवदन वर्मा निवासी ग्राम बंधुआपुर जिलाकाठ, तहसील- सोहावात, जिला- फैजाबाद।
- घ. जगदीश्वर पुत्र राम मोहन निवासी ग्राम बंधुआपुर जिलाकाठ, तहसील- सोहावात, जिला- फैजाबाद।
- ड. श्रीमती रेणु शर्म पत्नी श्री प्रभुनाथ गुप्ता वर्मा निवासी बस्ती कृष्णपुर, पोस्ट सोनीराजपुर, परगना- प्रसन्न राठ, तहसील- बीरपुर, जिला- फैजाबाद।

द्वारा वे सभी दुस्ती मिलकर शीर्ष 0000 दुस्ती करवाये।

2. यह पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा दिनांक- 04.09.2012 से प्रभावी होगा।

21.09.2012

श्रीमती  
श्रीमती  
श्रीमती  
श्रीमती

भारतीय नैऋत्याधिक

एक सौ रुपये

₹. - 1.00



RS. 100  
ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 574277

1. टुस्ट का नाम- "डी एम लाला पीएम मेथीवाल टुस्ट" और एक भीष्म ने टुस्ट इसी नाम से बना लिये।
2. टुस्ट का मुख्य कार्यलय निम्न और- "डी एम लाला पीएम मेथीवाल टुस्ट" नाम संजयदा विद्यालय, गुरुकुल, भोवताल, जिला, गुरुकुल।  
*यह टुस्ट एक अनाथ बालकों के लिए है जिनके माता पिता मृत हो चुके हैं।*
3. टुस्ट पत्र- विद्यालयकी इन्डियन नर्स द्वारा टुस्ट पत्र के रूप में बना गया। 10,000/- रु० (दस हजार रुपये मात्र) टुस्टिंगमें की सीमा दी गई है। जो कि टुस्टपत्र की किसी प्रतिभूति, पत्र के संघर्ष (यह कि अनाथ) अथवा टुस्ट के प्रवर्तनमें हेतु किसी भी निमित्त से बना किया जा सकता है। टुस्टिंगमें की यह भी प्रतिभूति टुस्टिंग में किसी व्यक्ति, जन प्रतिनिधि, राज्य सरकार, राज्य तथा संसद, विधान तथा संसद, विधान परिषद संसद, संसद, कानून, पत्र, संसद अथवा अन्य किसी से बना या धरा गये अनाथ संसदीय के रूप में या किसी भी अन्य रूप में धरा गया जा सकता है।

5/12/2006



डी एम लाला पीएम मेथीवाल टुस्ट  
गुरुकुल विद्यालय  
गुरुकुल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EX 576274

दस्तावेज़ों की दृष्टि से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य शीटों से वन पुराने का  
 अधिकार भी होगा एवं बैंक, मालिक, राष्ट्रपति, विधायक संसदवादी अथवा अन्य  
 से प्राप्त किसी का भी अधिकार नहीं। इन शीटों पर मुद्रांकन नहीं की जाये  
 का सुरक्षण भी किया जा सकेगा।

6. दस्तावेज़ों की शर्तों का विचार लेखक एवं उसके परिवारियों- दस्तावेज़ों की सभी शर्तों  
 दस्तावेज़ों के मुद्रांकन में नहीं आये। दस्तावेज़ का लेखक एवं शीटों के 50 वर्षों के  
 समय होगा। लेखक द्वारा लेखक एवं 31.03.2013 से 31.03.2014 को प्रमाण होगा।  
 दस्तावेज़ों की शर्तों का अधिकार अधिकार एवं किसी शर्तों एवं अन्यत्र द्वारा  
 किया जायेगा।

7. दस्तावेज़ों के उद्देश्य- "बी एन लॉन्ग फ़्रीडम फ़ेडरेशन दस्तावेज़ों का समुदाय  
 निम्नलिखित, मालिक- मालिक, मालिक, मालिक, मालिक से निम्न उद्देश्य होगा।

1. मालिकों से देश भरित, राष्ट्रीय हित में अर्थव्यवस्था का विकास निम्नलिखित  
 कार्य एवं उनके विधिक व शैक्षणिक उद्देश्य एवं समुदायों निम्नलिखित हेतु  
 प्राप्त अधिकार प्राप्त होगा।

2/1/2014/44

श्रीमती अशोक देवी  
 मुख्य निदेशिका  
 वन